

के-15017/01/2015-एससी-1

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 01 सितम्बर, 2015

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय),

शहरी विकास मंत्रालय,

निर्माण भवन,

नई दिल्ली

विषय: स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) दिशा-निर्देशों के तहत स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम के रूप में 180,00,00,000/- रूपए जारी करना।

महोदय,

मुझे संलग्न सूची के अनुसार, एससीएम के दिशा-निर्देशों के पैरा 12.1 के अनुरूप स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करने हेतु प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय के लिए राज्य निधि के हिस्से के रूप में प्रति शहर/शहरी स्थानीय संगठन दीव के संबंध में दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2,00,00,000/- रूपए की दर पर राज्य सरकारों को अग्रिम के रूप में 180,00,00,000/- रूपए (एक सौ अस्सी करोड़ रुपये केवल) जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की सूचना संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. अग्रिम की राशि शहरों की प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यय के लिए निधियों से आएगी और इसका समायोजन पहली किस्त जारी करने के समय से शहर के हिस्से में किया जाएगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन हैं:

i) यह स्वीकृति सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005/एससीएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होगी।

ii) राज्य सरकारें, एससीएम के संबंध में एक अलग खाता बनाकर रखेंगी।

- iii) निधि का उपयोग, उसी प्रयोजनार्थ किया जाएगा, जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी गई है।
- iv) राज्य सरकारें जारी की गई निधियों के संबंध में एससीएम के दिशा-निर्देशों यथा प्रदत्त विनिर्दिष्ट प्ररूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रस्तुत करेंगी।
4. यह एससीएम दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों को पहली रिलीज है। चूंकि, अपेक्षा के अनुसार, स्वीकृति में उल्लेखित राज्यों के संबंध में कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित नहीं है।
5. इसमें शामिल व्यय मुख्य शीर्ष 3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान, 04- शहरी विकास की अन्य योजनाएं, 315- स्थानीय संगठनों, निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार मंडल आदि को सहायता, 03- 100 स्मार्ट सिटीजे के लिए मिशन, 03.00.31- अनुदान सं. के तहत सामान्य अनुदान सहायता वर्ष, 104- 2015-16 (आयोजना) के लिए शहरी विकास मंत्रालय के नामे डाला जाएगा।
6. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 22.02.1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ-II (45/76/एससी) के जरिये निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार 180,00,00,000/- रूपए (एक सौ अस्सी करोड़ रूपये केवल) की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के जरिये राज्य सरकारों को अंतरित की जाए।
7. इसे एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से उनकी दिनांक 28.08.2015 के डायरी सं. 1012/यूएस (डी-II)/एफडी/15 के जरिए जारी किया गया है।
8. यह स्वीकृति वर्ष 2015-16 के लिए स्मार्ट सिटीज प्रभाग (एससी-1) के स्वीकृति रजिस्टर में क्रमांक 1 पर पंजीकृत है।

भवदीय



(संजय शर्मा)


अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23062742

जारी.....

प्रतिलिपि:-

- i) राज्य सरकार के मुख्य सचिव। अग्रिम का उपयोग, उसी प्रयोजनार्थ किया जाएगा, जिसके लिए इसकी स्वीकृति दी गई है।
- ii) प्रमुख सचिव (शहरी विकास)
- iii) नगरपालिका आयुक्त
- iv) महालेखाकार, राज्य सरकार
- v) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
- vi) डीडीओ, शहरी विकास मंत्रालय, अनुभाग अधिकारी (प्रशासन II) निर्माण भवन, नई दिल्ली
- vii) वित्त प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- viii) बजट अनुभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- ix) गार्ड फाइल/स्वीकृत फोल्डर
- x) तकनीकी प्रकोष्ठ, इस स्वीकृति को स्मार्ट सिटी मिशन की वेबसाइट पर डालने के लिए



(संजय शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

राज्यों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटित शहरों की संख्या	राज्य स्तरीय एचपीएससी द्वारा संभावित शहरों की पहचान/सिफारिश	राशि (रु. करोड़ में)
1.	आंध्र प्रदेश	3	1. विशाखापत्तनम 2. तिरुपति 3. काकीनाडा	6.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		1. पासीघाट	2.00
3.	असम		1. गुवाहाटी	
4.	बिहार	3	1. मुजफ्फरपुर 2. भागलपुर 3. बिहार शरीफ	6.00
5.	छत्तीसगढ़	2	1. रायपुर 2. बिलासपुर	4.00
6.	गोवा	1	1. पणजी	2.00
7.	गुजरात	6	1. गांधी नगर 2. अहमदाबाद 3. सूरत 4. वडोदरा 5. राजकोट 6. दाहोड	12.00
8.	हरियाणा	2	1. करनाल 2. फरीदाबाद	4.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1. धर्मशाला	2.00
10.	झारखंड	1	1. रांची	2.00
11.	कर्नाटक	6	1. मंगलुरु 2. बेलगावी 3. शिमोगा 4. हुबली-धारवाड 5. तुमकुर 6. दावणगेरे	12.00
12.	केरल	1	1. कोच्चि	2.00

13.	मध्य प्रदेश	7	1. भोपाल 2. इंदौर 3. जबलपुर 4. ग्वालियर 5. सागर 6. सतना 7. उज्जैन	14.00
14.	महाराष्ट्र	10	1. नवी मुंबई 2. नासिक 3. ठाणे 4. ग्रेटर मुंबई 5. अमरावती 6. सोलापुर 7. नागपुर 8. कल्याण-डोम्बिवली 9. औरंगाबाद 10. पुणे	20.00
15.	मणिपुर	1	1. इंफाल	2.00
16.	मेघालय	1	1. शिलांग	2.00
17.	मिजोरम	1	1. आइजोल	2.00
18.	नागालैंड	1	1. कोहिमा	2.00
19.	ओडिशा	2	1. भुवनेश्वर 2. राउरकेला	4.00
20.	पंजाब	3	1. लुधियाना 2. जालंधर 3. अमृतसर	6.00
21.	राजस्थान	4	1. जयपुर 2. उदयपुर 3. कोटा 4. अजमेर	8.00
22.	तमिलनाडु	12	1. तिरुचिरापल्ली 2. तिरुनेलवेली 3. डिंडीगुल,	24.00

			4. तंजावुर, 5. तिरुपुर 6. सलेम, 7. वेल्लोर, 8. कोयंबटूर, 9. मदुरै, 10. इरोड, 11. तूतकुडी 12. चेन्नई	
23.	तेलंगाना	2	1. ग्रेटर हैदराबाद 2. ग्रेटर वारंगल	4.00
24.	त्रिपुरा	1	1. अगरतला	2.00
25.	उत्तर प्रदेश	12	1. मुरादाबाद 2. अलीगढ़ 3. सहारनपुर 4. बरेली 5. झांसी 6. कानपुर 7. इलाहाबाद 8. लखनऊ 9. वाराणसी 10. गाजियाबाद 11. आगरा 12. रामपुर	24.00
26.	उत्तराखंड	1	1. देहरादून	2.00
27.	पश्चिम बंगाल	4	1. न्यू टाउन कोलकाता 2. बिधाननगर 3. दुर्गापुर 4. हल्दिया	8.00
	कुल	90		180.00

